न्यायालय - अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या 01, निम्बाहेड़ा]
जिला चित्तौड़गढ़,राज.

पीठासीन अधिकारी - सीमा कारोल, आर.जे.एस.
(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या - 133/2026
सी.आई.एस. नम्बर - 135/2026

सुरेश कीर पिता कंवरलाल उम्र 35 वर्ष निवासी कल्याणपुरा पुलिस थाना कोतवाली निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गड़, राज.

-प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

राज. सरकार जरिये अपर लोक अभियोजक सं. 01 **-विपक्षी**

<u>अग्रिम जमानत आवेदन अन्तर्गत धारा 482 बी.एन.एस.एस.</u>

प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या - 248/2026 थाना कोतवाली निम्बाहेड़ा अपराध अन्तर्गत धारा 115(2), 126(2), 74, 189(2), 351(2)(3), 352, 324(4), 117(2) बी.एन.एस.

उपस्थितिः-

1-श्री देवीलाल डालचंद - अधिवक्ता, प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से।
2-श्री कमलेश श्रीमाली - अपर लोक अभियोजक, राज्य की ओर से।

<u>-आदेश-</u> **दिनांक: <u>09.06.2026</u>**

1- प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से धारा 482 बी.एन.एस.एस. के तहत अग्रिम जमानत हेतु यह प्रथम आवेदन पत्र पुलिस थाना कोतवाली निम्बाहेड़ा के एफ.आई.आर. संख्या 248/2026 में अन्तर्गत धारा 115(2), 126(2), 74, 189(2), 351(2)(3), 352, 324(4), 117(2) भारतीय न्याय संहिता में पेश किया गया, प्रार्थना पत्र की नकल अपर लोक अभियोजक को दिलाई गई। प्रकरण की केस डायरी तलब कर बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई।

2- अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा दौराने बहस प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया गया तथा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किये गये कि

फरियादिया द्वारा फर्जी एवं मनगढन्त तथ्य अंकित कर रिर्पोट पेश की है। परिवादी पक्ष प्रार्थी/आरोपी जो कि आर्थिक रुप से सक्षम व्यक्ति है को डरा धमका कर उससे अवैध राशि वसूल करना चाहते हैं। इसी गरज से आये दिन कानूनी दावपेचों का गलत इस्तेमाल कर प्रार्थी/आरोपी के विरुद्ध झूठे मुकदमे संगीन धाराओं में करते है। परिवादिया एवं उसके परिवारजन राजनीतिक रुप से प्रभावशाली व्यक्ति हैं तथा वह अपने प्रभाव का दुरुपयोग कर तथा दबाव बना कर आये दिन झूठे प्रकरण दर्ज करवाते हैं। प्रार्थी/आरोपी का कथित घटना से कोई सम्बन्ध नहीं है, सम्भवतः उक्त कथित अल्टो कार से कोई दुर्घटना हो जाने पर मौके का फायदा उठा कर परिवादिया ने झूठे तथ्य बता कर यह रिर्पोट प्रस्तुत की है क्योंकि जो स्थान घटना स्थल के रुप में बताया गया है वह अत्यधिक व्यस्त चौराया है जहां सैंकडों लोग उपस्थित मिलते है जहां कथित प्रकार की आपराधिक घटना कारित कर पाना किसी भी सूरत में सम्भव नहीं है। परिवादीया के परिजनों द्वारा कई बार प्रार्थी/आरोपी से झूठे मुकदमों में धमकी देकर अवैध राशि की मांग की जा चुकी है जिसकी रिकार्डिंग उपलब्ध है। प्रार्थी/आरोपी से कोई अनुसंधान करना शेष नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त स्थायी निवासी है, जिसके बाद जमानत उसके भाग जाने या फरार हो जाने या गवाहान पैरवी को टैम्परविद करने का अंदेशा नहीं है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त को अग्रिम जमानत पर रिहा करना फरमावें। अपने तर्कों के समर्थन में एफ.आई.आर. नंबर 505/2025 धारा 115(2), 126(2), 351(2)(3), 64(1) भारतीय न्याय संहिता व धारा 5/6 पोक्सो एक्ट के दस्तावेज की प्रति पेश किये।

3- इसके विपरीत विद्वान अपर लोक अभियोजक ने प्रार्थना पत्र का विरोध कर तर्क दिये कि अभियुक्त पर गंभीर अपराध का आरोप है तथा मामले में अनुसंधान शेष है इसलिये प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित नहीं है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया।

4- उभय पक्षकारान् के तर्कों पर मनन किया गया। केस डायरी पर उपलब्ध अभिलेख के अनुसार दिनांक 21.05.2026 को प्रार्थिया श्रीमती कंकु ने उपस्थित थाना कोतवाली निम्बाहेड़ा हो एक रिपोर्ट इस आशय की पेश कि दिनांक 21.05.2026 को दिन में करीब 12:00-12:30 बजे की घटना होकर प्रार्थिया और उसका पुत्र दोहिता व उसके परिवार के सदस्य उनके खेत पर गये जहां पर सुरेश कीर, कमल, बबलू, रमेश, कृष, दीपक, राहुल, विशाल व उनके साथ कुछ अन्य व्यक्ति वहां पर आये जो गुंडागर्दी व अवैध गतिविधियों में लिप्त रहते हैं। सुरेश जिसने उसकी नवासी के साथ पहले दुष्कर्म किया था, जिसका मुकदमा न्यायालय में चल रहा है। इसी रंजीश के चलते उक्त आरोपीगण हम सलाह होकर आये तथा खेत पर आकर गंदी-गंदी गालियां देने लगे और मारपीट करने लगे व जान से मारने की धमकी दे गये कि तुम लोग गांव में आओ तुम्हें जान से खत्म कर देंगे। उसका पुत्र राधेश्याम उसे मोटरसाईकिल पर बिठाकर सिगरी रोड से कल्याणपुरा गांव की ओर जा रहा था की कल्याणपुरा चौराहे पर उक्त सभी आरोपीगण जो घात लगाकर उनका इंतजार कर रहे थे और हथियारों और लठ्ठ आदि से लैस थे। सभी ने आगे गाडियां लगा कर उनका रास्ता रोक लिया व लठ्ठ से उसके उपर हमला कर दिया। उसके अंग वस्त और कपडे फाड दिये, लज्जा भंग की जिससे उसके सिर पर गंभीर चोट लगी और खुन बहने लगा। उसके पुरे शरीर पर अंदरूनी चोटें आयी। वह मूछित होकर गीर पडी, उसके पुत्र ने बीच-बचाव करने लगा तो उसके उपर भी हथियारों लठ्ठ से ताबड-तोड हमला कर दिया, जिससे उसके हाथ पांव फ्रैक्चर होकर टूट गये। आरोपीगण ने लठ्ठ व टामी से हमारे ऊपर हमला किया। मारपीट होने से वहां पर अन्य गांववासी आ गये तथा उन्हें अल्टो 800 कार में बिठाकर लाने लगे तो उक्त आरोपियों ने कार पर भी हमला कर दिया और कार को क्षतिग्रस्त कर दिया.....इत्यादि। उक्त रिपोर्ट पर पुलिस थाना कोतवाली निम्बाहेड़ा में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 248/2026, अन्तर्गत धारा 115(2), 126(2), 74,

189(2), 351(2)(3), 352, 324(4), 117(2) भारतीय न्याय संहिता दर्ज कर दौराने अनुसंधान उपरोक्त धाराओं में प्रार्थी/अभियुक्त को गिरफ्तार कर अनुसंधान किया जाना आवश्यक है।

5- मैंने दोनों पक्षों के तर्कों पर मनन किया। केस डायरी का अवलोकन किया। प्रकरण में अभियुक्त पर 115(2), 126(2), 74, 189(2), 351(2)(3), 352, 324(4), 117(2) भारतीय न्याय संहिता का आरोप है, जो कि गंभीर प्रकृति के आरोप है। अनुसंधान अधिकारी को मुल्जिम से अनुसंधान करना शेष है। **प्रार्थी/अभियुक्त सुरेश** के विरूद्ध पूर्व के आपराधिक प्रकरण संस्थित/लंबित है, जिनका विवरण निम्नानुसार है-

क्रमांक	एफआईआर नंबर	न्यायालय का नाम व केस नंबर	अपराध धारा	एफआईआर दर्ज दिनांक	केस की वर्तमान स्थिति	गिरफ्तारी दिनांक	जमानत दिनांक	अंडर ट्रायल	फैसला दोषसिद्ध/दोषमुक्त
1	118/2011 कोतवाली निम्बाहेडा	एसीजेएम सं. 01 निम्बाहेड़ा	143, 148, 149, 323, 452, 435, 436 आई.पी.सी.	01.03.2011	सीएस नं 377 दिनांक 12.09.11	–	–	–	–
2	118/2011 थाना कोतवाली निम्बाहेडा	एसीजेएम सं. 01 निम्बाहेड़ा	147, 148, 149, 323, 427 भा.दं.सं.	18.08.2009	सीएस नं 374 दिनांक 13.11.09	28.10.09	–	–	–
3	143/2021 थाना डूंगला	एसीजेएम सं. 01 निम्बाहेड़ा	392, 34 भा.दं.सं.	12.10.22	सीएस नं 59 दिनांक 14.03.14	28.03.14	–	–	–
4	55/2022 थाना डूंगला	एस.सी./एस.टी कोर्ट चित्तौडगढ़	115(2), 126(2), 3(5) बीएनएस व धारा 3(1),(आर), 3(2)(5ए) एससी/एसटी एक्ट	22.04.22	सीएस नं 91 दिनांक 29.04.25	14.04.25	–	–	–

अतः प्रार्थी/अभियुक्त के पूर्व के आपराधिक प्रकरणों की सूची व मामले के समस्त तथ्यों परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए मामले के गुणावगुण पर टिप्पणी किए बिना प्रार्थी/अभियुक्त को अग्रिम जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित नहीं पाया जाता है।

<u>आदेश</u>

6- फलतः प्रार्थी/अभियुक्त सुरेश कीर पिता कंवरलाल उम्र 35 वर्ष निवासी कल्याणपुरा पुलिस थाना कोतवाली निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गड़, राज. की ओर से इस न्यायालय में प्रस्तुत एफ.आई.आर संख्या 248/2024 पुलिस थाना कोतवाली निम्बाहेड़ा में अन्तर्गत धारा 115(2), 126(2), 74, 189(2), 351(2)(3), 352, 324(4), 117(2) भारतीय न्याय संहिता के मामले में धारा 482 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र एतद्द्वारा अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

(सीमा कारोल)
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश
संख्या 01, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़

7- आदेश आज दिनांक 09.06.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया।

(सीमा कारोल)
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश
संख्या 01, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़

MUSKAN VERMA

Digitally signed by MUSKAN VERMA
Date: 2026.06.09 13:22:05 +0530

-प्रमाण पत्र-

निर्णय/आदेश में किये गये संशोधन को, अपलोड करने से पूर्व समाविष्ट कर लिया गया है।

आशुलिपिक

नोट- यह प्रतिलिपि प्रार्थी/अधिवक्ता की जानकारी के लिये है। सत्यापित प्रतिलिपि न्यायालय से प्राप्त की जा सकती है।